न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 400/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पो.
1- ओमप्रकाश पुत्र लादूराम 2- पप्पाराम पुत्र लादूराम 3- भारमल पुत्र लादूराम 4- चुन्नीलाल पुत्र लादूराम 5- रिमली पुत्री लादूराम 6- गीता पुत्री लादूराम 7- बाबुराम पुत्र पन्नाराम सभी जाति विश्नोई निवासीगण खेडी की ढाणी तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर		1. देवाराम पुत्र छोगाराम 2. तेजाराम पुत्र छोगाराम 3. कचराराम पुत्र छोगाराम 4. घेवरचन्द पुत्र छोगाराम 5. माधाराम पुत्र छोगाराम सभी जाति विश्नोई निवासीगण चन्द्रनगर तहसील लोहावट, जिला फलोदी 6. ग्राम पंचायत सालवाकलां, तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपाडशहर, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम, 1956 बरखिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी, जोधपुर (उत्तर) दिनांक 18 जुलाई 2023
राजस्व अपील संख्या 4/2021 देवाराम व अन्य बनाम
लादूराम आदि

उपस्थित–
श्री सुगनमल परिहार–श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 से 5
रेस्पो. संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक 26 दिसम्बर, 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर) द्वारा अपील संख्या 4/2021 देवाराम व अन्य बनाम लादूराम आदि में पारित निर्णय

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

दिनांक 18 जुलाई 2023 के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष देवाराम आदि (वर्तमान अपील में रेस्पो. संख्या 1 से 5) ने ग्राम पंचायत सालवाकलां द्वारा स्वीकृत म्युटेशन संख्या 161 दिनांक 16 अक्तूबर 1967 खारिज किये जाने का निवेदन करते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत एक अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील दिनांक 18 जुलाई 2023 को स्वीकार कर ली गयी, जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष देवाराम आदि (वर्तमान अपील में रेस्पो. संख्या 1 से 5) को ग्राम पंचायत सालवांकलां द्वारा स्वीकृत म्युटेशन संख्या 161 दिनांक 16 अक्तूबर 1967 को खारिज कराने हेतु अपील प्रस्तुत करने कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उनका आराजी खसरा संख्या 667 रकबा 44 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम सालवाकलां में कोई अधिकार निहित नहीं है और न ही उक्त म्युटेशन 161 दिनांक 16 अक्तूबर 1967 से उनके कोई हित प्रतिकूलरूपेण प्रभावित होते है। देवाराम आदि (वर्तमान अपील में रेस्पो. संख्या 1 से 5) विधिवत प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत कोई प्रार्थनापत्र भी पेश नहीं किया गया और दिनांक 16 अक्तूबर 1967 को स्वीकृत म्युटेशन संख्या 161 के खिलाफ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष सन् 2021 में निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के करीब 44 साल बाद अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियादशुमार किये जाने हेतु जो प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

अधिनियम पेश किया गया, उसमें विलम्ब का कोई संतोषजनक, विश्वसनीय एवं तर्कसंगत कारण अंकित नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत अपील मियाद–बाधित एवं अधिकारविहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य होते हुए भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश उक्त अपील स्वीकार करने में गम्भीर विधिक भूल की गयी है। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि वक्त बंदोबस्त से अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है, वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट्स के रहवासीय मकान बने हुए है और तारबंदी भी की हुई है, रेस्पो. का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा एवं अधिकार नहीं रहा है और रेस्पो. इस गांव के निवासी भी नहीं है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में अपीलाण्ट्स के पूर्वज पन्ना पुत्र मनरूप की खातेदारी की भूमि थी, अपीलाण्ट्स पन्ना पुत्र मनरूप के वंशज है। पन्ना पुत्र मनरूप द्वारा कभी भी रेस्पो. के पिता छोगा को दत्तकग्रहण नहीं किया, इस संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने 2012(2) आरआरटी 1412 उद्धरित करते हुए कथन किया कि सामाजिक रीति रिवाज के आधार पर गोदपुत्र घोषित नहीं किया जा सकता है और 2021(2) सीसीसी 407 के अनुसार दत्तक संबंधित विनिश्चयन का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को उपलब्ध नहीं होकर सिविल न्यायालय को ही उपलब्ध है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 27 अगस्त 2021 को प्रस्तुत की गयी, उसमें वर्णित रेस्पो. हनुमानराम सन् 2000 में ही फौत हो चुका था और अन्य रेस्पो. लादूराम का भी देहान्त दिनांक 04 मई 2021 को हो चुका था, इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील मृत पक्षकारान के खिलाफ होने से चलने योग्य ही नहीं थी। इसके

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

उपरान्त भी मृतक पक्षकारान के समन्नों की तामील दर्शाते हुए कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जो न्यायोचित, न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप एवं विधिसम्मतः नहीं होने से खारिज किया जावे एवं अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पन्ना की खातेदारी भूमि थी, और पन्ना के एकमात्र पुत्र बींजाराम का देहान्त पन्ना के जीवनकाल में ही हो गया था, रेस्पो. के पिता छोगाराम, जो कि पन्ना के भाई उमराराम के पौत्र थे, को पन्ना द्वारा गोदपुत्र स्वीकार किया गया था और पन्ना के जीवनकाल में छोगाराम पन्ना के साथ ही रहकर उनकी देखभाल करते थे और वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त थे, पन्ना के देहान्त के बाद दत्तकपुत्र होने के कारण वादग्रस्त आराजी सहित अन्य भूमियों बाबत छोगा को पन्ना का गोदपुत्र दर्शाते हुए फौतेदगी म्युटेशन संख्या 922 स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टियां की गयी। छोगाराम का देहान्त 14 अगस्त 1997 को हो जाने पर छोगाराम के पुत्रों अर्थात के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। अपीलाण्ट्स वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार की संतान नहीं है, उनके द्वारा कपटपूर्ण तरीके से म्युटेशन संख्या 161 की कार्यवाही कर भूमि हडपने की चेष्टा की गयी है। न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) फलोदी के समक्ष म्युटेशन संख्या 922 से संबंधित प्रकरण संख्या 8/91 मानाराम बनाम पांचाराम आदि में पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान के आधार पर छोगाराम को पन्ना का दत्तक पुत्र होना स्वीकार किया गया है। इन परिस्थितियों में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदुनसार खारिज की जावे।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया और उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ता की सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी पूर्व में पन्ना पुत्र मनरूप की खातेदारी की भूमि होने के संबंध में पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। मूल विवाद का बिन्दु पन्ना पुत्र मनरूप द्वारा छोगाराम को दत्तक ग्रहण किये जाने एवं आलौच्य अपील में अपीलाण्ट्स उक्त पन्ना पुत्र मनरूप के पुत्र-पौत्र होने के संबंध में है। ग्राम लोहावट विश्नाबास स्थित भूमि खसरा संख्या 2060, 2061 व 2063 कुल रकबा 376 बीघा 05 बिस्वा, जिसके संबंध में राजस्व रिकार्ड में पन्ना भी सहखातेदार दर्ज रहा है, बाबत फौतेदगी म्युटेशन संख्या 922 में छोगाराम को पन्ना का दत्तक पुत्र दर्शाते हुए पन्ना के हिस्से की भूमि बाबत छोगाराम की खातेदारी मानी गयी है। इस संबंध में न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) फलोदी के समक्ष म्युटेशन संख्या 922 से संबंधित प्रकरण संख्या 8/91 मानाराम बनाम पांचाराम आदि में पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान के आधार पर छोगाराम को पन्ना का दत्तक पुत्र होना स्वीकार किया गया है। इन्हीं तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने समक्ष राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 जुलाई 2023 पारित किया गया है, जो विधिसम्मतः पाये जाने से

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना अदालत हाजा की विनम्र राय में उचित नहीं है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18 जुलाई 2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26 दिसम्बर 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.12.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर